

18.12.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रकरण
में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र नं. ७१२, की रिपोर्ट का
अवलोकन किया गया। प्रकरण र. ७ अनु उप
विधायन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निमत है।
वादीभाग में वादीगण द्वारा कार्यवाही ~~कर~~ नहीं
चाहने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है।



मिथिला प्रकरण में कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर रोक दी जाती है। पत्रावली के क्रम क्रमांक ६६ क्र. नम्बर से शुरू की जा कर दायित्व दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]